



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122020-223784  
CG-DL-E-19122020-223784

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4032]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2020/अग्रहायण 27, 1942

No. 4032]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2020/AGRAHAYANA 27, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय  
ओदश

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4588(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 143 की उप-धारा (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020, में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) दूसरा संशोधन आदेश, 2020, है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 में, पैरा 2 में, “1 अप्रैल, 2020” अंकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर “1 अप्रैल, 2021” अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 17/45/2015-सीएल-V भाग I]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश तारीख 25 फरवरी, 2020 को संख्या सा.का. 849 (अ) के द्वारा से भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुए और इसके पश्चात् तारीख 24 मार्च, 2020 को संख्या सा.का. 1219 (अ) के द्वारा से संशोधित हुए।

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

### ORDER

New Delhi, the 17th December, 2020

**S.O. 4588(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Companies (Auditor's Report) Order, 2020, namely:-

1. Short title, application and commencement. - (1) This Order may be called the Companies (Auditor's Report) Second Amendment Order, 2020.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Auditor's Report) Order, 2020, in paragraph 2, for the figures, letters and word "1<sup>st</sup> April, 2020", the figures, letters and word "1<sup>st</sup> April, 2021" shall be substituted.

[F. No. 17/45/2015-CL-V Part I]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy

**Note:** The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), *vide* number S.O. 849(E), dated the 25<sup>th</sup> February, 2020 and was subsequently amended *vide* number S.O. 1219 (E), dated the 24<sup>th</sup> March, 2020.